राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1126/2007/झुंझुनूं

मैसर्स आर.के.ट्रैडिंग कम्पनी,
झुंझुनूं। ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरावंचन–तृतीय, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 403/आरवैट/झुंझुनूं/06–07 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.05.2007 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन तृतीय, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,07,785/– को यथावत् रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कर निर्धारण अधिकारी को मिली सूचना के आधार पर उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर जाकर जांच की तो उन्होंने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर बडी मात्रा में कार्टून पडे है, वहां पर रणवीर सिंह नामक एक व्यक्ति मौजूद था, उन्होंने कार्टून के संबंध में कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया, एवं माल से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत करने से इन्कार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी से असहयोग किया। कर निर्धारण अधिकारी ने पुलिस की मदद से उक्त माल को जब्त करके अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर माल से संबंधित मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, झुंझुनूं की बिल्टी संख्या 65 दिनांक 06.12.2006 पेश की, एवं मैसर्स आर.के.ट्रेडिंग कम्पनी, झुंझुनूं की अपनी जोधपुर स्थित ब्रान्च को जारी चालान संख्या 6 दिनांक 06.12.2006 की प्रति प्रस्तुत की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

लगातार.....2

माल के भौतिक सत्यापन हेतु अपीलार्थी को माल से संबंधित पूर्ण विवरण पेश करने हेतु सूचित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी व्यवहारी ने लिखित जवाब पेश किया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने इसे करापवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति राशि रूपये 1,07,785/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी कम्पोजिशन स्कीम के तहत् एक पंजीकृत व्यापारी है, एवं उनकी करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी, साथ ही माल अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर होने के कारण इस प्रकरण में धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण किया जाना उचित नहीं है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच के लिए अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर जाने पर उन्होंने जांच के लिए सहयोग प्रदान नहीं किया गया, एवं साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल राज्य के बाहर से मंगवाया जाकर स्थानीय व्यापारियों को डिलीवर किया जाता है, इस प्रकार वक्त जांच माल गंतव्य स्थिति में था, इस प्रकार उक्त प्रकरण में धारा 76(6) का आरोपण किया जाना उचित है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 08.12.2006 को अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर जांच के लिए जाने पर उन्होंने वहॉ माल पाया, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये एवं कर निर्धारण अधिकारी को जांच के लिए सहयोग भी प्रदान नहीं किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिल्टी संख्या 65

लगातार.....3

दिनांक 06.12.2006 के आधार पर यह कहा गया कि माल मार्गस्थ ना होकर व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर मौजूद था, इस प्रकार धारा 76(6) नहीं लगायी जा सकती, जबकि बिल्टी संख्या 65 मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, मण्डावा रोड, झुंझुनू द्वारा 60 नगों के लिये जारी है। कोई माल, वजन, मार्का आदि इस बिल्टी पर प्रदर्शित नहीं है तथा न ही माल के जोधपुर पहुॅचने व डिलीवरी किससे प्राप्त की गई है, आदि किसी भी तथ्यों का उल्लेख अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। माल पर पाए गए प्राईवेट मार्का एवं भौतिक सत्यापन करने पर इनमें पाई गई पर्चियां उक्त माल को राज्य के बाहर से आयात किया जाना प्रमाणित करती है। उक्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के पृष्ठ संख्या 7 एवं 8 पर विस्तार से किया गया है। पृष्ठ संख्या 9 पर कर निर्धारण अधिकारी ने यह प्रमाणित किया है कि श्री रणवीर सिंह ने शेखावाटी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, दिल्ली की एजेन्सी ले रखी है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने हस्तगत प्रकरण में अभिग्रहित माल को Goods in movement अभिनिर्धारित कर अधिनियम की धारा 76(6)` तहत् शास्ति आरोपण किया है, जो विधिसम्मत है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

8. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 04.05.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य